

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।  
पत्रांक— 1498 / 11—सी—FP/UP/Road/39999/2019, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 24, 2020

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हेक्टेएर एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हेक्टेएर एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति। प्रस्ताव संख्या—(FP/UP/Road/39999/2019)

सन्दर्भ:

भारत सरकार का पत्रांक—8बी / यू0पी0 / 06 / 102 / 2019 / एफ0सी0 / 1053, दिन 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक—2153 / 14-1, दिनांक 21.11.2020 द्वारा प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धित अभिलेख की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18  
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या—1498 / 11—सी—FP/UP/Road/39999/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ।
- 2— वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 3— प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
- 4— अधिशासी, अभियन्ता, जोन—5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

18/24/12/20

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c